



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 4 राँची, शुक्रवार, 25 अग्रहायण, 1938 (श०)
16 दिसम्बर, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

14 दिसम्बर, 2016

विषय: योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं०-3201 दिनांक 4 नवम्बर, 2016 को झारखण्ड अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कम्पनी लि०, (JUIDCO) राँची के एजेन्सी शुल्क के उद्देश्य से अंगीकृत करने के संबंध में ।

संख्या-5/न०वि०/विविध (एजेन्सी चार्ज) /77/2016-6821-- नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा विभागीय योजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराए जाने का दायित्व झारखण्ड अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कम्पनी लि०, (JUIDCO) राँची को सौंपा गया है । इस क्रम में विभागीय संकल्प सं०-3300 दिनांक 20

जून, 2016 द्वारा जुडको लि०, राँची को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराये जाने हेतु चयनित परामर्शी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के सम्यक अनुश्रवण एवं तकनीकी परीक्षण के साथ पारस्परिक समन्वयन सुनिश्चित करने हेतु 'एजेन्सी शुल्क' के रूप में भुगतये परामर्शी शुल्क की दर पर 10% शुल्क Centage निर्धारित किया गया है ।

2. योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) द्वारा संकल्प संख्या-3201 दिनांक 4 नवम्बर, 2016 द्वारा राज्य के बोर्ड/निगम/सोसाईटी द्वारा निर्माण कार्यों के लिए अलग-अलग दरों पर Centage चार्ज किए जाने के कारण उनमें एकरूपता बनाए रखने हेतु निम्नांकित रूप से दरें निर्धारित की गयी है :

2.1

क्र०	कार्य की लागत	Centage का अधिकतम दर
1	परियोजना लागत 10 करोड़ रुपये तक।	7%
2	परियोजना लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक एवं 100 करोड़ रुपये तक।	10 करोड़ रुपये तक 7% + 10 करोड़ रुपये से अधिक एवं 100 करोड़ रुपये तक की परियोजना की राशि पर प्रति करोड़ 5%
3	परियोजना लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक।	10 करोड़ रुपये तक 7% + 10 करोड़ रुपये से अधिक एवं 100 करोड़ रुपये तक की परियोजना की राशि पर प्रति करोड़ 5% + 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना की राशि पर प्रति करोड़ 1%

2.2 वर्तमान में Contingency के रूप में ली जा रही 1% की राशि अनुमान्य नहीं होगी ।

2.3 Centage का दर मूल प्राक्कलन की राशि पर देय होगी न कि संशोधित प्राक्कलन पर ।

3. उपर्युक्त कंडिका-2 में योजना सह वित्त विभाग द्वारा निर्धारित Centage दर को झारखण्ड अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कम्पनी लि०, (JUIDCO) राँची को एजेन्सी शुल्क के रूप में देय राशि के लिए तत्काल प्रभाव से अंगीकृत किया जाता है ।

4. जुडको लि० द्वारा परामर्शी शुल्क का भुगतान चरणबद्ध क्रम में आवंटित राशि से करने संबंधी विभागीय संकल्प संख्या-3300 दिनांक 20 जून, 2016 के अन्य प्रावधान यथावत् रहेंगे ।

झारखण्ड राज्य के राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।
